प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- संवर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076 - 2076

पटवार हल्का :- सीन्ता

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076-2076
जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- देहित

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- तालेड़ा

खाता संख्या नया :- 188

जिला :- बूँदी

खाता संख्या पुराना :- 140

काश्तकार का नाम :-

1. कोटा विकास प्राधिकरण कोटा (धारा -90-क) हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक	टिप्पणी
329	0.9551	आवासीय प्रयोजनार्थ 0.9551	0.00		स्वीकृत नामांतरकरण : 723 07/07/2026न्याया. आदेश	
कुल खसरे -1	**0.9551**		**0.0000**			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम -

पता -

प्रतिलिपि सं. - 115132

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनाँक व समय -10/Jul/2026 05:30:00 PM

नक़ल जारी करने का स्थान - तालेड़ा

यू.एस.एन - 11110326341887231

https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=11110326341887231

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - BANWARI LAL SHARMA

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनाँक व समय - 07/Jul/2026 09:17:00 PM

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- संवर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076 - 2076

पटवार हल्का :- सीन्ता

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076-2076
जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- देहित

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- तालेड़ा

खाता संख्या नया :- 140

जिला :- बूँदी

खाता संख्या पुराना :- 118

काश्तकार का नाम :-

1. पप्पूलाल पुत्र शोनाथ हिस्सा- 1/4 जाति- मीना सा. देह खातेदार
2. मोहन पुत्र शोनाथ हिस्सा- 1/4 जाति- मीना सा. देह खातेदार
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र शोनाथ हिस्सा- 1/4 जाति- मीना सा. देह खातेदार
4. राजेश कुमार पुत्र शोनाथ हिस्सा- 1/4 जाति- मीना सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक	टिप्पणी
329	0.9551	नहरी II	0.9551	2.39		स्वीक्रत नामांतरकरण : 10 27/05/2022शुद्धिपत्र	
448/196	0.4209	नहरी I	0.4209	1.18		स्वीक्रत नामांतरकरण : 606 21/02/2025विरासत	
86	0.0324	गे.मु.खिलयान	0.0324	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 609 19/03/2025रहनमुक्त	
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 618 21/03/2025हकत्याग	
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 680 29/12/2025न्याया. आदेश	
कुल खसरे -3	**1.4084**			**3.5700**			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम -

पता -

प्रतिलिपि सं. - 114021

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनाँक व समय -01/Jul/2026 04:10:00 PM

नक़ल जारी करने का स्थान - तालेड़ा

यू.एस.एन - 1111032634140 6807

https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=1111032634140 6807

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - HARSHIT SHARMA

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनाँक व समय - 29/Dec/2025 12:23:00 PM

NIC

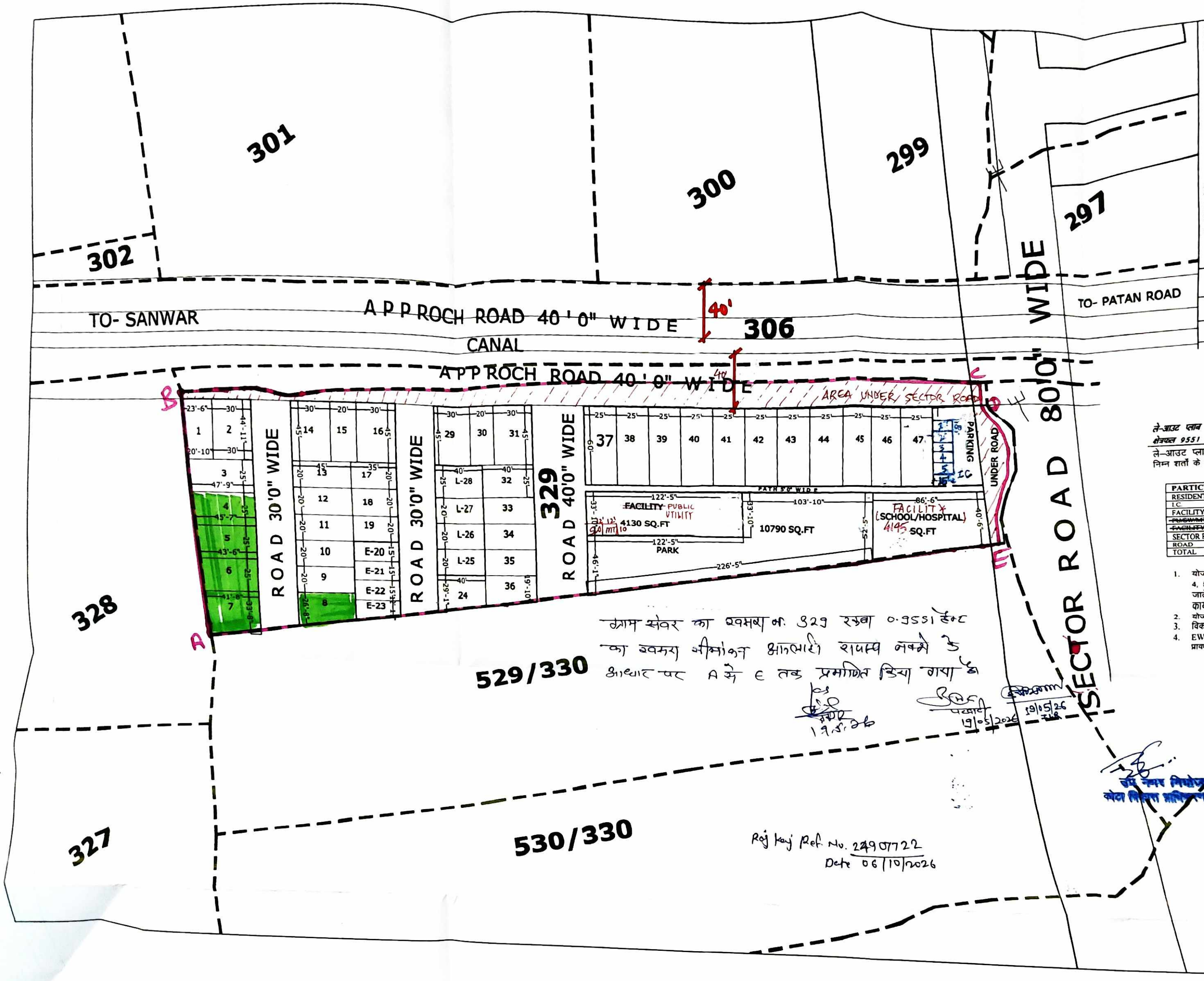

REVISED LAY-OUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY ANAND VAN CITY SOUTH BLOCK
KH.NO.:- 329
VILLAGE:-SAWAR ,TEH.-TALERA
DIST:-BUNDI (RAJ.)

N

APPLICANT NAME:-
1.PAPPU LAL S/O SHYONATH
2.MOHAN S/O SHYONATH
3.RAJENDRA KUMAR S/O SHYONATH
4.RAJESH KUMAR S/O SHYONATH

SCALE:1"=50'

KHASRA ANALYSIS

S.NO.	KH.NO.	AREA (IN HECT.)	AREA (IN SQMTR.)
1.	329	0.9551	9551.0
	TOTAL	0.9551	9551.0

ले-आउट प्लान (आवासीय योजना स्वीकृत) ग्राम संवर खसरा नं0 329 कुल किता 01 क्षेत्रफल 9551 वर्गमीटर (Mark- A to E)

ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 13/08/2026 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है –

PARTICULAR	AREA (IN SQFT)	PERCENTAGE
RESIDENTIAL	50573.00	49.21
I.C.	2052.00	2.00
FACILITY (SCHOOL/HOSPITAL)	4145.00	4.03
~~PU/SW/MT~~ PARK	10790.00	10.50
~~FACILITY~~ PU/SW/MT	4130.00	4.02
SECTOR ROAD	10193.00	9.92
ROAD	20885.00	20.32
TOTAL	102768.00	100.00

1. योजना के आंतरिक विकास कार्य के पेटे 10 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं0 4, 5, 6, 7 व 8 कुल भूखण्ड 05 क्षेत्रफल 5713.51 वर्गफीट आरक्षित किये जाते हैं, जिसे रंग से दर्शाया गया है। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।
2. योजना का पंजीयन रेरा में करवाया जाना अपेक्षित है।
3. विकासकर्ता का पंजीयन क्रमांक TP-2024/DR/D/02 है।
4. EWS/LIG के भूखण्डों का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानुसार किया जाना अपेक्षित है।

Raj Kaj Ref. No. 24907722
Date 06/10/2026

निदेशक (नगर नियोजन) कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

SIGNATURE
ARCHITECT/CIVIL ENGG.
NAME/ ADDRESS/ L.I.C. NO.

SIGNATURE
OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS

कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)
राजस्थान सरकार

क्रमांकः LU2012/KOT/2026-27/101186 दिनांकः 01/07/2026

विषयः – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **RAJESH KUMAR MEENA** पुत्र श्री **SHYONATH** जाति **MEENA** निवासी **SAWAR DEHIT BUNDI RAJASTHAN**

श्री **RAJENDRA KUMAR** पुत्र श्री **SHYONATH** जाति **MEENA** निवासी **SAWAR DEHIT BUNDI RAJASTHAN**

श्री **MOHAN** पुत्र श्री **SHYONATH** जाति **MEENA** निवासी **SAWAR DEHIT BUNDI RAJASTHAN**

श्री **PAPPU LAL** पुत्र श्री **SHYONATH** जाति **MEENA** निवासी **SAWAR DEHIT BUNDI RAJASTHAN**

1. ऊपर नामित आवदेक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	संवर, तालेडा (बूंदी)	1.PAPPU LAL S/O SHYONATH 2.MOHAN S/O SHYONATH 3.RAJENDRA KUMAR S/O SHYONATH 4.RAJESH KUMAR S/O SHYONATH CASTE-MEENA SA.DEH KHATEDAR	329	9551	0.9551
				कुल	**0.9551**

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की –मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियो को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इस विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **01-07-2026** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

Digitally Signed by HARSHIT VERMA
Designation : DC/ AO
Date: 2026.07.01 13:34:35 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :– एफ 7/डी0टी0पी0/2026/राजकाज रेफरेंस नंबर /216 दिनांक :– ई हस्ताक्षरित
7-1623

निमित्त :

श्री मोहन, श्री पप्पू लाल, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री राजेश कुमार मीणा
पता – ग्राम संवर तहसील तालेड़ा
जिला बूंदी (राज0)।

विषय :– ग्राम संवर खसरा नं0 329 कुल किता 01 क्षेत्रफल 9551 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक प.11(14)नविवि/टाउनशिप पॉलिसी–2024/2024 दिनांक 17.07.25 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2025 के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 13/08/2026 में लिये गए निर्णयानुसार ले–आउट प्लान स्वीकृति उपरांत योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है –

(1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित क्षेत्रफल गणना तालिका के तकनीकी मापदण्डों एवं समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।

(2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि कोटा विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करवानी होगी।

(3) प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।

(4) योजना में विकास कार्य इस आदेश की जारी तिथि से 48 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कोटा विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनसुार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र लिया जावेगा। **यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते है, तो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।**

(5) इन्फोर्मल वाणिजियक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुरूप किया जाना होगा।

(6) भूखण्डों पर निर्माण कोटा विकास प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।

(7) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेगें योजना में किसी प्रकार का संशोधन कोटा विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

(8) रैनवाहटर हार्वेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सडकें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स् आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राईट आफ वे' दिया जावेगा।

(9) स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें कोटा विकास प्राधिकरण में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।

(10) ले–आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारू रूप से हो सके।

(11) नियमानुसार रैरा में पंजीकरण/भूखण्डो के विक्रय की कार्यवाही से पूर्व विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुसार मौके पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। मौके पर

RajKaj Ref No.:
24907722
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Mukesh Kumar Choudhary
Designation : Secretary
Date: 2026.10.06 19:25:33 IST
Reason: Approved

AnyScanner

भूमि कम/अधिक अथवा किसी अन्य का कब्जा होने पर भूमि के आकृति/क्षेत्रफल आदि स्वीकृत ले–आउट से भिन्न होने पर यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार संशोधित ले–आउट स्वीकृत/अन्य कार्यवाही करवाई जानी होगी।

(12) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 10 प्रतिशत विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं0 4, 5, 6, 7 व 8 कुल भूखण्ड 05 क्षेत्रफल 5713.51 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। **उक्त भूखण्ड कोटा विकास प्राधिकरण में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।**

(13) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/दिशा–निर्देशों/आदेशों/निर्देशों/मार्गदर्शन आदि के दृष्टिगत यदि किसी नियम की व्याख्या अथवा अन्य के दृष्टिगत कोई शुल्क/राशि देय होती है, तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराई जानी होगी।

(14) नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी टाउनशिप पॉलिसी–2024 एवं समय–समय पर जारी संबंधित संशोधनों/अधिसूचनाओं/आदेशों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

(15) ले–आउट प्लान में दर्शित EWS/LIG भूखण्डों का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी–2024 एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार किया जाना होगा।

(16) टाउनशिप पॉलिसी–2024 अनुसार विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास कार्य पूर्ण होने पर मेंटेनेंस फंड की राशि एकत्रित कर R.W.A. अथवा निकाय में जमा करवायी जानी होगी।

(17) उक्त ले–आउट का रैरा में पंजीयन करवाया जावे।

(18) सेक्टर रोड़ को निर्बाध रखा जावे तथा योजना के समीप स्थित अन्य योजनाओं के रास्ते का मिलान किया जावे व उक्त रास्तों को अवरूद्ध नहीं किया जावे।

(19) ले–आउट प्लान स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र में लिपिकीय या अंकगणितिय त्रुटियां या किसी आकस्मिक चूक या गलती से उत्पन्न त्रुटियां प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय, या तो स्वंय की पहल या किसी भी पक्ष के आवेदन पर सुधारी जा सकती है।

(20) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :– स्वीकृत ले–आउट प्लान

प्रतिलिपि :–

1– उपायुक्त–............, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा।

2– अधिशाषी अभियंता (.................) कोटा विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय–समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय–समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चतता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

3– तहसीलदार, कोटा विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा सडक हेतु समर्पित भूमि को रास्ते हेतु दर्ज करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4– उप पंजीयक कोटा को सूचनार्थ।

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

RajKaj Ref No.: 24907722

M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Mukesh Kumar Choudhary
Designation : Secretary
Date: 2026.10.06 19:25:33 IST
Reason: Approved

SCAN AnyScanner

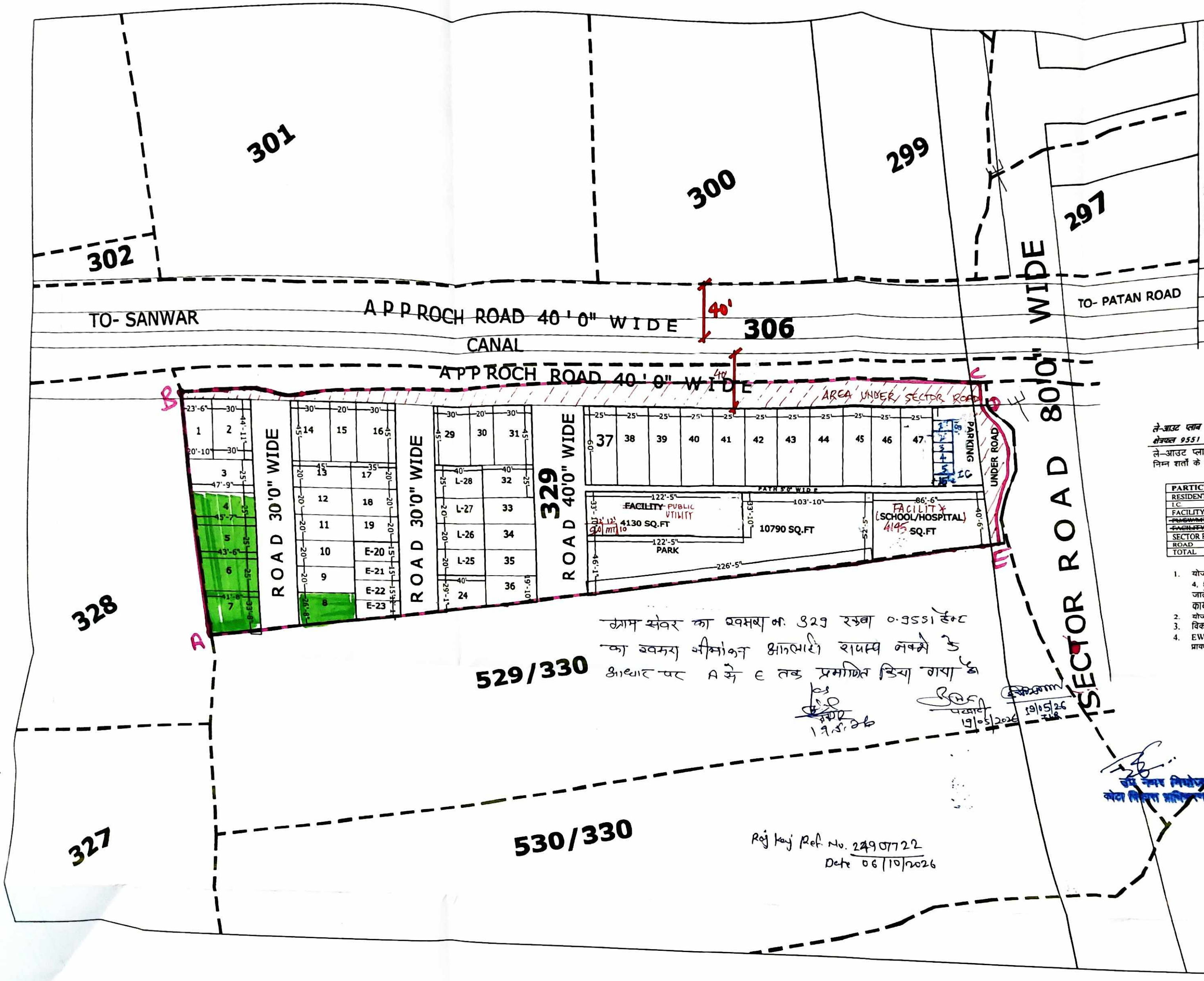

REVISED LAY-OUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY ANAND VAN CITY SOUTH BLOCK

KH.NO.:- 329
VILLAGE:-SAWAR, TEH.-TALERA
DIST:-BUNDI (RAJ.)

SCALE:1"=50'

APPLICANT NAME:-
1.PAPPU LAL S/O SHYONATH
2.MOHAN S/O SHYONATH
3.RAJENDRA KUMAR S/O SHYONATH
4.RAJESH KUMAR S/O SHYONATH

KHASRA ANALYSIS

S.NO.	KH.NO.	AREA (IN HECT.)	AREA (IN SQMTR.)
1.	329	0.9551	9551.0
	TOTAL	0.9551	9551.0

ग्राम सेवर का खसरा नं. 329 रकबा 0.9551 हैक्ट का खसरा सीमांकन आनलाइन राजस्व नक्शे के आधार पर A से E तक प्रमाणित किया गया है

ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रोजेक्ट) ग्राम सेवर खसरा नं0 329 कुल किता 01 क्षेत्रफल 9551 वर्गमीटर (Mark- A to E)

ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 13/08/2026 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है –

PARTICULAR	AREA (IN SQFT)	PERCENTAGE
RESIDENTIAL	50573.00	49.21
I.C.	2052.00	2.00
FACILITY (SCHOOL/HOSPITAL)	4145.00	4.03
~~PU/SW/MT~~ PARK	10790.00	10.50
~~FACILITY~~ PU/SW/MT	4130.00	4.02
SECTOR ROAD	10193.00	9.92
ROAD	20885.00	20.32
TOTAL	102768.00	100.00

1. योजना के आंतरिक विकास कार्य के पेटे 10 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं0 4, 5, 6, 7 व 8 कुल भूखण्ड 05 क्षेत्रफल 5713.51 वर्गफीट आरक्षित किये जाते हैं, जिसे ___ रंग से दर्शाया गया है। उक्त भूखण्ड आतंरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।
2. योजना का पंजीयन रेरा में करवाया जाना अपेक्षित है।
3. विकासकर्ता का पंजीयन क्रमांक TP-2024/DR/D/02 है।
4. EWS/LIG के भूखण्डों का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानुसार किया जाना अपेक्षित है।

उप नगर नियोजक कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

निदेशक (नगर नियोजन) कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

SIGNATURE
ARCHITECT/CIVIL ENGG.
NAME/ ADDRESS/ L.I.C. NO.

EMINENT ENGINEERS KOTA

SIGNATURE
OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA 500

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY
Pradeep Singh Hada
Notary (Central)
Area : KOTA (Raj.)
Reg. No. 12052
GOVT. OF INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

AH 883015

24 SEP 2026

2773
7/10/26

Memorandum of Understanding

Memorandum of Understanding आज दिनांक पक्षकारान के मध्य निष्पादित किया जा रही है –

1. पप्पूलाल पुत्र शोनाथ, जाति आयु 55 वर्ष, आधार क्रमांक 8164 0304 4508, निवासी 33. पुराना बस्ता ग्राम– संवर, तहसील–तालेडा, जिला– बूंदी, राज. 323021 2. मोहन पुत्र शोनाथ आयु 55 वर्ष, आधार क्रमांक 8762 7754 4035, निवासी ग्राम सवर, तहसील–तालेडा, जिला बूंदी, राज. 323021 3. राजेन्द्र कुमार पुत्र शोनाथ, जाति–मीना, आयु 45 वर्ष, आधार क्रमांक 6047 1490 9618, निवासी ग्राम सवर, तहसील–तालेड़ा, जिला–बूंदी, राज. 323021 जिन्हें इस Memorandum of Understanding में प्रथमपक्ष शब्द से संबोधित किया गया है।

एंव

राजेश कुमार मीणा पुत्र शिवनाथ, जाति–मीना, आयु 42 वर्ष, आधार क्रमाक 5974 3684 8621, निवासी ग्राम संवर, तहसील–तालेडा, जिला– बूंदी, राज. 323021, जिन्हें इस Memorandum of Understanding में द्वितीयपक्ष शब्द से संबोधित किया गया है।

मोहनलाल राजेशकुमारमीणा
राजेन्द्र पप्पूलाल

ATTESTED
7/10/26
(PRADEEP SINGH HADA)
Notary (Central) KOTA (Raj.)

Identified By

कार्यालय नोटेरी कोटा, (राज0)

क्रमांक 2773 दिनांक 7/10/24

श्री राजेश मीणा (राजेश कुमार मीणा)

पुत्र श्री शिवनाथ निवासी ग्राम सपुर

ने मेरे समक्ष इस लेख पत्र को प्रस्तुत करके इसका निष्पादन करना एवं इसमें वर्णित तथ्यों का सही होना एवं इस पर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करना स्वीकार किया।

निष्पादनकर्ता को श्री [illegible] पहचाना।

(प्रदीप सिंह हाडा)

नोटेरी सैन्ट्रल कोटा (राज0)

7/10/2<…>

1.यह है कि ग्राम–सवर पटवार हल्का सींता भू.अ.नि.वृत देहित, तहसील–तालेड़ा, जिला–बूंदी क्षेत्र में भूमि खाता संख्या नया 140 पुराना 118 के खसरा संख्या 329 रकबा 0.9551 हैक्टर भूमि स्थित है।

2. यह कि उपर्युक्त बिन्दु सख्या 1 में वर्णित भूमि प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के नाम एवं निर्विवाद कब्जे में है।

3. इस प्रकार कुल किता 01 रकबा 0.9951 हेक्टेयर भूमि ग्राम संवर तह0 तालेडा जिला बून्दी राज0 में स्थित है।

4. यह है कि उपर्युक्त वर्णित भूमि को प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने संयुक्त रूप से आवासीय योजना उपयोग हेतु केडीए से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क आदेश क्रमांक LU2012/KOT/2026-27/101186 दिनांक 01.07.2026 को रूपांतरित करवा लिया है एंव आवासीय योजना **"आनन्दवन सिटी साउथ ब्लॉक"** के नाम से मानचित्र अनुमोदन हेतु कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा मे विचाराधीन है।

5. यह है कि प्रथमक्ष व द्वितीयपक्ष दोनो पक्षकार उपर्युक्त वर्णित भूमि पर संयुक्त रूप आवासीय योजना **'आनन्दवन सिटी साउथ ब्लॉक"** को विकसित करने हेतु निम्नानुसार एग्रीमेन्ट/असाइनमेंट करते है –

- यह कि आवासीय योजना को **'आनन्दवन सिटी साउथ ब्लॉक"** के नाम से जाना जावेगा।
- आवासीय योजना की 90–क कार्यवाही एवं मानचित्र अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि/शुल्क/नियमन विकास शुल्क के पेटे देय जमा योग्य राशि अपनी अपनी भूमि के अनुपात के अनुसार उभयपक्षों द्वारा जमा करवायी जावेगी।
- यह कि उपर्युक्त आवासीय योजना को रियल एस्टेट (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016 (रेरा) के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु आवेदन पर हस्ताक्षर करने हेतु द्वितीयपक्ष अधिकृत रहेगा।
- यह कि उपर्युक्त आवासीय योजना **'आनन्दवन सिटी साउथ ब्लॉक"** का बैंक खाता द्वितीयपक्ष के नाम से रियल एस्टेट (विनियम एंव विकास) अधिनियम 2016 (रेरा) के नियमानुसार खोला जावेगा।
- यह कि दोनों पक्षकारों के स्वामित्व की भूमि का उपयोग अनुमोदित मानचित्र के अनुसार विक्रय योग्य एवं गैर विक्रय योग्य क्षेत्र दोनों में किसी भी अनुपात में होते हुए भी विक्रय योग्य क्षेत्रफल का विभाजन खातेदारी भूमि के अनुपात में किया जावेगा।

...eep Singh Hada
Notary (Central)
Area : KOTA (Raj.)
Reg. No. 12052
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
7/10/26
(PRADEEP SINGH HADA)
Notary (Central) KOTA (Raj.)

मोहनलाल
राजेन्द्र
पप्पूलाल

- यह कि उपर्युक्त आवासीय योजना में सेलिंग व मार्केटिंग का अधिकार प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष दोनों का है।
- यह कि उपर्युक्त आवासीय योजना में आन्तरिक विकास कार्य द्वितीयपक्ष के द्वारा किया जायेगा।
- यह कि उपर्युक्त आवासीय योजना में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष डवलपमेंट खर्चा, केडीए फिस, अन्य दायित्व का समायोजन के पश्चात् निम्न भूमि अनुपात में बांटा जावेगा –

क सं	नाम प्रमोटर	अनुपात (%)
1	पप्पुलाल	**25 %**
2	मोहन	**25 %**
3	राजेन्द्र	**25 %**
4	राजेश	**25 %**

अतः एंव यह Memorandum of Understanding दोनो पक्षों ने आपसी सहमति, निज़ी इच्छा व प्रसन्नता से बिना किसी अन्य के दाब दबाव व बहकावट के बिना नशे पते व चित की पूर्ण जाग्रत अवस्था पर 500 रुपये के एक किता स्टाम्प पेपर मय किता हरे कागज इस प्रकार कुल किता 03 पर लेख्य कर दिया व मजमून द्वारा Memorandum of Understanding पत्र को पढ़ सुन समझ कर निम्न गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर निशानी कर दिये ताकि प्रमाण रहे तथा समय पर काम आयें।

इति लख्य दिनांक 7/10/26

मोहनलाल राजेन्द्र पप्पुलाल

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

राजेशकुमार

गवाह–1

गवाह –2

Pradeep Singh Hada Notary (Central) Area : KOTA (Raj.) Reg. No. 12052 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
7/10/26
(PRADEEP SINGH HADA)
Notary (Central) KOTA (Raj.)